न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :– भागीरथ शाख आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 06 / 2016

1. विक्रान्त पुत्र श्री अमर सिंह जाति जाट निवासी ललाणा उतराधा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट –

–बनाम–

1. गुलाम शाह उर्फ गुलाम हुसैन पुत्र रहीम खां
2. मो. हुसैन
3. शरमा
4. रमजान खां
5. लियाकत
6. श्यामा
7. अमीर निशा
8. ग्राम पंचायत महाजन जरिये सरपंच तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूनकरनसर

– रेस्पोडेन्टस् –

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 20.01.2016 ग्राम पंचायत महाजन ईन्तकाल नम्बर 85 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956।

उपस्थित :–

1. श्री लालचन्द जाट अपीलान्ट की ओर से ।

दिनांक :– 02/07/2021

–:निर्णय:–

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। इस पत्रावली से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने यह अपील अ[illegible]धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत [illegible] के आदेश दिनांक 20.01.2016 के विरूद्ध इस आशय की पेश की है कि मौजा [illegible] चक 172–400 आर[illegible] पटवार हल्का महाजन तहसील लूनकरनसर के मु0न0 98 / 25 के किला नम्बर 17ता24 [illegible]दी 7.06 बीघा कमाण्ड भूमि खातेदार जन्नी पत्नी गुलाम शाह कौम मुसलमान निवासी महाजन तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर के नाम से खातेदारी एवं कब्जे काश्त में थी जो खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 10:32:57 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

जन्नी ने अपने जीवन काल में दिनांक 02.06.2011 को जरिये रजि . बैनामा से अपीलांट को विक्रय कर बैनामा उपपंजीयक लूनकरनसर में पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 284 पृष्ठ संख्या 03 क्र.सं. 2011001803 दिनांक 02.06.2011 को पंजीबद्ध करवा दिया था तथा उसी दिन अपीलांट को उपरोक्त भूमि का कब्जा एवं दखल भौतिक रूप से दिलाकर काबिज एवं मालिक बना दिया था तब से उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है खेत के चारो ओर तारबन्दी की हुई है तथा उक्त खेत अपीलांट द्वारा सुरेन्द्र सिंह को काश्त पर दिया हुआ हैं। अपीलांट ने उक्त विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने हेतू हल्का पटवारी को बैनामा की फोटो प्रति दे दी थी दिनांक 16.05.2016 को अपीलांट अपनी उक्त भूमि पर केसीसी ऋण लेने हेतू जमाबन्दी की नकल लेने के लिए पटवारी हल्का के पास गया तो हल्का पटवारी ने कहा कि रिकार्ड में भूमि आपके नाम दर्ज नहीं हैं। बैनामा की कॉपी लाओ तब दिनांक 17.05.2016 को पुनः अपीलान्ट हल्का पटवारी के पास बैनामा की प्रति लेकर गया तो हल्का पटवारी ने बैनामा व रिकार्ड देखकर बताया कि उक्त भूमि का इन्तकाल जन्नी के वारिसानों ने अपने नाम दर्ज करवा लिया है तब अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश इन्तकाल संख्या 85 दिनांक 20.01.2016 की नकल लेने पर जानकारी हुई कि रेस्पोडेंटान संख्या 1ता8 ने उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल इस बात की जानकारी होते हुए भी दर्ज करवा दिया कि उक्त भूमि जन्नी द्वारा अपीलांट को विक्रय की हुई हैं। अपीलाधीन आदेश की विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा एवं दखल चला आ रहा है इस बात की रेस्पोडेन्टान को जानकारी है अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर गौर किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कानून के खिलाफ होने के कारण निरस्त करने योग्य हैं। इससे पूर्व अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को नही थी इसलिए जानकारी के दिन से अपील अन्दरमियाद प्रस्तुत कि गइ हैं। अतः अपीलान्ट वकील द्वारा आदेश दिनांक 20.01.2016 इन्तकाल संख्या 85 मौजा रोही चक 172–400 आरडी निरस्त फरमाया जाकर विक्रय पत्र दिनांक 02.06.2011 के अनुसार अपीलांट के नाम इन्तकाल दर्ज करने हेतु निवेदन किया।

अपील अपीलान्ट दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को अपीकृत आदेश दिनांक 20.01.2016 जिसके अन्तर्गत इन्तकाल संख्या 85 वाके चक 172–400 आरडी के मु.नं. 98/25 के किला नम्बर 17 ता24 तादादी 7 बीघा 6 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में स्थगन आदेश व अपील नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील शामिल पत्रावली किये। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 व 10 बावजूद नोटिस विधिवत तामील के उपस्थित नहीं व नोटिस के ना तो रिकार्ड पेश किया ना ही स्वयं व प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 10:52:57 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट व अपील पक्ष में प्रस्तुत रिकार्ड बैयनामा दिनांक 02.06.2011 रजि. बैनामा की छाया प्रति पेश की।

उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित कथनों की पुनरावृति करते हुए पुनः कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचयात महाजन ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये एक तरफा तौर पर ईन्तकाल संख्यां 85 दिनांक 20.01.2016 को रेस्पोडेन्टस 1 ता 8 की नाम विरास्तन का इन्तकाल स्वीकृत कर दिया जबकि अपीलाधीन भूमि अपीलान्ट की जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 02.06.2011 जरिये बैमाना से खरीदशुदा है मौके पर अपीलान्ट का कब्जा है इस प्रकार अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2016 बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एक तरफा तौर पर पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है । अपील अपलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि रोही मौजा चक 172–400 आरडी के मु.नं. 98/25 के किला नम्बर 17ता24 में तादादी 7.06 बीघा अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे के इन्द्राज की स्वीकृति प्रदान फरमावे।

बहस के प्रत्युत्तर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1ता8 (रेस्पोडेन्ट 7 व 8 एक ही व्यक्ति) ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र को नोटेरी पब्लिक से तस्दीकशुदा है को प्रस्तुत कर अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपील अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकार किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की ।

रेस्पोडेन्ट संख्या 9 व 10 को रजिस्टर्ड नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं । अतः इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन किया । रिकॉर्ड के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि अपीलाधीन भूमि अपीलान्ट की जरिये पंजीकृत विकय पत्र से खरीदशुदा है जिसका विरास्तन नामान्तरकरण बिना जांच व सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2016 से पारित किया गया हैं। जिसे निस्प्रभावी घोषित किया जाकर निरस्त किया जाता हैं तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार लूनकरनसर को इस हिदायत के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि यदि विकय पत्र किसी आदेश से निरस्त नहीं हुआ है तो नियमानुसार अपीलान्ट के नाम से कयशुदा भूमि रोही मौजा चक 172–400 आरडी के मु.नं. 98/25 के किला नम्बर 17ता24 में तादादी 7.06 बीघा का नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज कर स्वीकृत करे। इस आदेश की प्रमाणित प्रति पालनार्थ उप तहसीलदार महाजन को प्रेषित की जाकर पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफत्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 02/07/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 10:52:57 IST
Reason: SelfAttested